एफ. सं 21(1)पी.डी./2005
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

कमरा सं0 168ए, नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2006

विषय:- केन्द्र सरकार की नकद प्रबंधन-प्रणाली वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान संशोधित राजकोषीय नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन और व्यय प्रतिबंध ।

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी राजकोषीय नियंत्रण आधारित व्यय शुरू करने से संबंधित दिनांक 10 जनवरी, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. योजना की कार्यप्रणाली के आधार पर योजना का विस्तार करने और उसमें निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

3. संशोधित नकद प्रबंधन प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है :

(i) वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बजटीय व्यय में और अधिक समानता लाना, विशेष रूप से उन मदों के संबंध में जिनके लिए काफी बड़ी राशि में अग्रिम जारी किए जाते हैं और संचयी निधि को अंतरण किया जाते हैं ।

(ii) अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से वर्ष के आखिरी महीनों के दौरान में अधिक खर्च करने से बचना ।

(iii) निधियों की पार्किंग की प्रवृत्ति को रोकना ।

(iv) व्यय पद्धति की कारगर ढंग से मॉनिटरिंग करना ।

(v) केन्द्र सरकार के बाजार उधार संबंधी निर्देशक कैलेण्डर की बेहतर योजना करना ।

4. यह योजना अनुबंध-1 में सूचीबद्ध अनुदानों की 23 मांगों के मामले में लागू होगी जिनमें 9 ऐसी अनुदान मांगे शामिल हैं जिनके लिए योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से विस्तारित किया जा रहा है।

5. व्यय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वित्त सलाहकार की होगी। वे इस प्रयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी को मनोनीत कर सकते हैं/कर सकती हैं।

6. प्रत्येक अनुदान मांग के संबंध में, मासिक व्यय आयोजना (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय के लिए अलग-अलग) (एमईपी) तैयार की जाएगी। जिसे उक्त अनुदान मांग के संबंध में अनुदानों की ब्यौरेवार मांग में एक अनुबंध के रूप में शामिल किया जाएगा। सुझाया गया प्रपत्र अनुबंध- II में दिया गया है।

7. एमईपी तिमाही व्यय आवंटन (क्यूईए) का आधार बनेगा। संबंधित विभाग/मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (नकद प्रबंधन सैल, बजट प्रभाग) की पूर्व अनुमति के बिना तिमाही व्यय आवंटन (जो मासिक व्यय आयोजना के अंतर्गत प्रावधान राशि के बराबर होगा) से अधिक राशि के चैक जारी नहीं करेंगे ।

8. निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए एमईपी को अंतिम रूप दिया जाएगा -

(क) मार्च माह के लिए एमईपी बजटीय प्रावधान (बजट अनुमान) के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ख) जनवरी-मार्च के महीनों हेतु एमईपी को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि अंतिम तिमाही से संबद्ध क्यूईए बजटीय प्रावधान के 33 प्रतिशत से अधिक न हों; और

(ग) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अ.शा. सं0 7 (3)/2006/ ई-कॉर्ड दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 शामिल है ।

9. राजकोषीय नियंत्रण अनुदानों की मांग स्तर पर ही संचयी रूप में लागू होगा अर्थात यह तिमाही के अंतर्गत महीनों के बीच, आयोजना और आयोजना भिन्न बीच तथा योजनाओं के बीच पारस्परिक भिन्नताओं को सांविधिक प्रतिबंधों तथा वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन स्वीकार्य हेगा।

10. तिमाही व्यय आवंटनों के अंतर्गत यदि कोई बचत हो, तो वह अगली तिमाही के लिए स्वतः अग्रेणित उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, विभाग/मंत्रालय वित्त मंत्रालय से ऐसी बचतों के पुनवैधीकरण हेतु मासिक व्यय आयोजना में सुधार द्वारा और इस प्रकार तिमाही व्यय आवंटन के जरिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। **मासिक व्यय आयोजना के संबंध में अधिक व्यय जो तिमाही व्यय आवंटन के अनुरूप नहीं है, वित्त मंत्रालय से पूर्व पुनर्वैधीकरण की अपेक्षा नहीं होगी लेकिन उसे तिमाही सुधार में शामिल किया जाएगा ।**

11. वित्त मंत्रालय पुनर्वैधीकरण हेतु, ऐसे अनुरोधों पर अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर विचार करेगा, ऐसा न होने पर पुनर्वैधीकरण संबंधी अनुरोध स्वीकृत माना जाएगा ।

12. वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही से संबंधित मासिक व्यय आयोजना और तिमाही व्यय आवंटनों को वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ।

13. मासिक व्यय आयोजना और तिमाही व्यय आवंटन सकल रूप में किए जाएं ।

14. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सलाह दी जाती है कि आशोधित राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न किए गए अनुदानों की मांग के संबंध में भी वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में हुआ व्यय अनुदानों की मांग हेतु बजट आवंटन के 33 प्रतिशत से अधिक न हो । तथापि, संशोधित अनुमानों के बजट अनुमान से कम निर्धारण की स्थिति में वास्तविक व्यय को संशोधित अनुमान के भीतर रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में भी लागू होगा ।

15. यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जनवरी, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का स्थान लेगा।

16. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति की पावती प्रदान की जाए ।

(वी0 एस0 चौहान)
विशेष कार्याधिकारी (बजट)
ई मेल-chauhan@nic.in

सेवा में,

सभी वित्तीय सलाहकार।
प्रधान निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
संयुक्त महालेखानियंत्रक।
सभी निदेशक/विशेष कार्याधिकारी/एबीओ/अवर सचिव/उप निदेशक/
बजट प्रभाग के अनुभाग अधिकारी
एनआईसी, वित्त मंत्रालय ।

<u>अनुबंध-I</u>

क्रम सं0	मांग सं0	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	**1**	कृषि और सहकारिता विभाग
2	**2**	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
3	**8**	उर्वरक विभाग
4	**11**	वाणिज्य विभाग
5	**14**	दूरसंचार विभाग
6	**18**	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
7	**31**	विदेश मंत्रालय
8	**32**	आर्थिक कार्य विभाग
9	**41**	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
10	**42**	राजस्व विभाग
11	**43**	प्रत्यक्ष कर
12	**44**	अप्रत्यक्ष कर
13	**47**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
14	**57**	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
15	**58**	उच्च शिक्षा विभाग
16	**68**	पंचायती मंत्रालय
17	**71**	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
18	**73**	विद्युत मंत्रालय
19	**79**	ग्रामीण विकास विभाग
20	**86**	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
21	**92**	कपड़ा मंत्रालय
22	**100**	शहरी विकास मंत्रालय
23	**104**	महिला और बाल विकास मंत्रालय